(वाद सं0.– 3409/4/32/2021)

31.01.2022

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, विनोद कुमार प्रसाद, पंचायत सचिव, प्रखंड , एकमा, सारण, छपरा को नवम्बर, 2018 से अप्रैल, 2021 के बीच की अवधि में मात्र **पांच माह** के वेतन का वेतन भुगतान करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिलाधिकारी, सारण, छपरा** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिलाधिकारी, सारण, छपरा** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **वरीय उपसमाहर्त्ता–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण** के प्रतिवेदनानुसार आवंटन के अभाव में परिवादी को उसके वकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका था। प्रतिवेदनानुसार जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण, छपरा से प्राप्त आवंटन के आलोक में परिवादी का माह जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर एवं अक्टुबर, 2021 का तक वेतन विपत्र तैयार का कोषागार में प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदनानुसार शेष वकाया वेतन के लिए जिला पंचायत पदाधिकारी से आवंटन का अनुरोध किया गया है। आवंटन प्राप्त होते ही परिवादी के शेष वकाया वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा।

परिवादी एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है। एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के वेतन के भुगतान को, आवंटन के नाम पर, लंबित रखना उसके मानवाधिकार के अतिक्रमण के श्रेणी में आता है। आवंटन की मांग व उसे उपलब्ध कराना संबधित प्राधिकार का उत्तरदायित्व है।

प्रस्तुत परिवाद को इस अनुशंसा के आलोक मे **संचिकास्त** किया जाता है **कि परिवादी के वेतन के भुगतान से संबंधित प्राधिकार द्वारा यथाशीध्र परिवादो के वकाया वेतन का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

तद्नुसार, आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए **जिलाधिकारी, सारण, छपरा** को **सूचनार्थ** एवं **आवश्यक क्रियार्थ** एवं **परिवादी** को **जिलाधिकारी, सारण, छपरा** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए, स्चित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक